अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

भारतीय संविधान के उप प्राविधानों के संदर्भ में प्रदेश शासन की अधिसूचना सं0 2015/चालीस 2–94–14(15)/91 दिनांक 7 अक्टूबर, 1994 द्वारा उ0प्र0 अल्संख्यक आयोग अधिनियम 1994 की धारा–2 के खण्ड(घ) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए (मुस्लिम,सिक्ख,बौद्व, इसाई तथा पारसी) को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है। अल्पसंख्यकों के उक्त संविधान प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण हेतु उनकी परम्परागत शैक्षिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से सम्बद्ध कर सुदृढ़ करने तथा उन्हे प्रवाही डिलेवरी सिस्टम के रूप में विकसित करने हेतु 12 अगस्त 1995 द्वारा अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का सृजन/गठन किया गया जिसका उद्‌देश्य निर्धारित किये गये।

1. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्प संख्यक समुदाय का उन्नयन
2. आर्थिक स्वावलम्बन।
3. सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण सांस्कृतिक संरक्षण एवं उन्नयन।

शैक्षिक विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :–

- **अल्पसंख्यक छात्रवृति :–** अल्पसंख्यकों के स्कूल छोड़ देने (ड्राप आऊट) की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रो के सामान्य अल्पसंख्यक छात्रवृति वितरित कर उनके बीच शिक्षा का प्रसार करने की योजना है। ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग छात्र/छात्रों जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के हेतु निर्धारित आय सीमा के दो गुने से कम है, कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को 300 रूपया प्रति छात्र, कक्षा 6 से 8 तक 480 रूपया प्रति छात्र एवं कक्षा 9 से 10 तक 720 रूपया प्रति छात्र वार्षिक दिया जाता है।

- **मदरसों में पढ़ने वालों छात्रों के शैक्षिक विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों विवरण :–** जनपद में पॉच मदरसे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त है इनके शिक्षण/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का वेतन राजकोष में दिया जाता है। अरबी, फारसी, मदरसाज बोर्ड से मान्यता प्राप्त 30 मदरसे है इनमें पढ़ने वालों छात्रों को परीक्षाएं अरबी–फारसी मदरसाज बोर्ड उ0प्र0 द्वारा संचालित होती है।

- **मदरसा आधुनिकीकरण योजना** :– केन्द्र पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों के आधुनिकीकरण, गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को 3000 प्रतिमाह की दर को तथा माध्यमिक स्तर तक के मदरसों में पढ़ाने वाले विज्ञान अध्यापकों को 4000 प्रतिमाह की दर से वेतन के रूप में दिया जाता है।

- **मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों पेंशन तथा पारिवरिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी भुगतान हेतु अनुदान की योजना :–** प्रदेश की सहायता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों के शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति की योजना शासनादेश संख्या 3760/15.06.93/25/91 दिनांक 23 नवम्बर 1993 द्वारा लागू की गयी है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

- **अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान स्वीकृति की योजनाः—** प्रदेश के अनुदानित मदरसों में जल, विद्युत, भूमि, भवन कर , पुस्तक एवं लेखन सामग्री, शुद्ध जीर्णोद्धार, काष्ठोपकरण, प्रसंगिक व्यय आदि की व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो पर पोषण अनुदान की स्वीकृति की योजना शासनादेश संख्या 619(2)/15—96—205/91 दिनांक 3 दिसम्बर 1994 द्वारा लागू की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुदानित मदरसों को रू0 765 प्रति मदरसा प्रतिवर्ष की दर से अनुदान स्वीकृति किया जाता है।

- **अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को अल्प संख्यक संस्था घोषित किया जाना :—** भारत संविधान की धारा 29 व 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

- **मदरसों में कम्प्यूटर में शिक्षा :—** मदरसों मे व्यवसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

- **आर्थिक विकास योजना :—** अल्पसंख्यको के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है।

1. **टर्मलोन योजना :—** यह योजना वित्तीय वर्ष 1995—96 में प्रारम्भ की गई जिसमें सम्पूर्ण योजना का 85 प्रतिशत राष्ट्रीय विकास एवं वित्तीय निगम लि0 तथा 5 प्रतिशत लााभार्थी द्वारा योजना में विनियोजित किया जाता है। लागत की 85 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं निगम द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक व्यक्तियों को 7 प्रतिशत के ब्याज पर विभिन्न व्यवसायों कारोबार हेतु दिया जाता है जिसकी वसूली तिमाही किश्तों में पॉच वर्षो में वसूल किया जाता है।

2. **मार्जिन मनी ऋण योजनाः—** इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत होने पर 15 प्रतिशत ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर अल्पसंख्यक वित्तीय एवं वि0नि0लि0 लखनऊ द्वारा दिया जाता है 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयम् लगाना पड़ता है।

3. **ब्याज रहित ऋण योजनाः—** इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यकवर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की आय 60,000 रूपया प्रतिवर्ष से अधिक नही है, को प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा अभियन्त्रण, चिकित्सा, प्रबन्धकीय,पशुचिकित्सा, हैण्डलूम टेक्नालॉजी अन्य महत्वपूर्ण टेक्नालॉजी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1000 रू0 प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है।

4. **कोचिंग योजनाः—** इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मेडिकल, इन्जीनियरिंग डिग्री कोर्सो में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोचिंग दिये जाने की योजना चलायी जा रही है तथा ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे जिन्हे आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 की प्रारम्भिक परीक्षायें पास कर ली है, उन्हे उक्त की मेन परीक्षाओं की कोचिंग कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के अभिभावक/माता–पिता की वार्षिक आय रू0 60000 से अधिक न हो तथा उसने यू0पी0बोर्ड से इण्टरमिडिएट परीक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा सी0बी0एस0सी0ई0/आई0सी0एस0सी0 में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त अंको में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

5. **व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार कार्यक्रम योंजना:–** अल्पसंख्यक वर्ग के लाभर्थियों को ऐसे व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे प्रशिक्षण के बाद वह स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। निगम द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार छात्र/छात्राओं को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आई0टी0आई0 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न तकनिकी प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

6. **वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं विकास** :– इसके अन्तर्गत कब्रिस्तानों एवं वक्फसम्पत्तियों का सीमांकन अबैध कब्जों एवं अतिक्रमण का हटाया जाना अवमाफ की भूमि पर वृक्षारोपण, वक्फ की भूमि पर व्यवसायिक काम्पलेक्स, छात्रावास, नर्सिग होम, मुसाफिरखाना का निर्माण तथा सृजित अवमाफ का वक्फ बोर्डो में पंजीकृत कराया जाना आादि है ताकि सम्पत्तियों का विकास एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराया जाना है।

7. **हज कमेटी का जिला स्तरीय संचालन** :– प्रतिवर्ष हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को जनपद को निःशुल्क आवेदन पत्र कराया जा सकता है, यात्रा से पूर्व टीकाकरण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

8. **उ0प्र0 अल्पंख्यक आयोग के कार्य** :– प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय–समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से 1969 के अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जो प्रकरण आयोग द्वारा संदर्भित किये जाते हैं। जिनका निस्तारण इस कार्यालय द्वारा किया जाता है।

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com